

अपराध परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को सड़क पर उतरकर चकाजाम कर दिया

गाडरवारा में नाबालिग से दरिंदगी पर फूटा जनआक्रोश



नवभारत/ नरसिंहपुर/ गाडरवारा। कौड़िया गांव में 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की हदयविदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। घटना के विरोध में परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने शनिवार को सड़क पर उतरकर चका जाम कर दिया, जिससे कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए और उसके अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए।

क्या है पूरा मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा परिजनों को घटना बताने के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रकरण में कड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सड़क पर उतरे ग्रामीण, किया चका जाम घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने

मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वस्त किया कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग आरोपी के घर को तोड़ने की थी। प्रशासन ने राजस्व विभाग से जांच कराई, जिसमें मकान का एक हिस्सा अवैध पाया गया।

अधिकारी का कथन

शाम होते-होते प्रशासनिक अमला बुलडोजर के साथ पहुंचा और अवैध हिस्से को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। अपराध अक्षय्य है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कड़ी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवैध निर्माण पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। गांव में तनावपूर्ण शांति फिलहाल क्षेत्र में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। यह घटना एक बार फिर समाज को झकझोरने वाली है, जहां मासूमों की सुरक्षा और त्वरित न्याय की मांग तेज होती जा रही है।

शिकाकर्तों के बाद सजग हुआ प्रशासन, कालोनाइजर को दी हिदायत

नवभारत/ तेंदुखेड़ा। नगर के डोला मार्ग स्थित खेतों में अवैध रूप से प्लांट काटकर बसाई गई कालोनी में मूलभूत सुविधाओं को ताक पर रखकर कालोनीराइजर द्वारा सड़क नाली पानी निकासी गार्डन और पार्किंग जैसी सुविधाओं का आश्रय देकर विकसित नहीं की गई जिसे लेकर परेशान कालोनीवासियों की शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर कालोनीराइजर को हिदायत देते हुए शीघ्र ही उचित सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देशित किया है। हमारे प्रतिनिधि को मिली जानकारी के अनुसार डोला मार्ग पर स्थित कृषि भूमि को कालोनीराइजर द्वारा छोटे छोटे प्लांट में विभाजित कर बेच दिया गया है। प्लांट खरीदने वाले नागरिकों को यह भरोसा दिलाया गया था कि यहां व्यवस्थित कालोनी विकसित की जाएगी जिसमें पक्की सड़कें नाली व्यवस्था पेयजल सुविधा पार्किंग स्थल और गार्डन उपलब्ध होंगे। इन आधारसों के आधार पर अनेकों लोग अपने मकान बनाकर रहने लगे। कालोनी बसने के बाद भी विकास कार्य नहीं होने से यहां रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का



सामना करना पड़ रहा है। कालोनी में तो पक्की सड़कें बनाई गई हैं और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी खाली प्लांटों में भरता रहता है। जिससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। जल निकासी सफाई का अभाव कालोनीवासियों का कहना है कि नालियों के अभाव में घरों का गंदा पानी खुले में बहता है और स्वच्छता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कच्चे के ढेर और गंदगी आम दृश्य बन गए हैं। जिनमें मच्छर-मक्खियां पनपती रहती हैं।

पार्किंग गार्डन की सुविधा नहीं

कालोनीराइजर ने प्लांट बेचते समय पार्किंग और गार्डन की सुविधा देने का दावा किया था लेकिन वर्तमान में कालोनी में तो कोई पार्किंग स्थल विकसित किया गया है और न ही बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई

गार्डन या खुला मैदान उपलब्ध है। परिणामस्वरूप वाहन सड़क किनारे खड़े किए जाते हैं। जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

अनुविभागीय अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम पूजा सोनी स्वयं कालोनी में निरीक्षण के लिए पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कालोनी की बदहाल स्थिति देखी और कालोनाइजर को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कालोनी में रह रहे लोगों के आवश्यक मूलभूत सुविधाएं तत्काल विकसित की जाएं और जल निकासी सड़क निर्माण तथा स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिससे यहां लोगों का जीवन

सिविल अस्पताल के उन्नयन की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री से मिले भाजपा नेता पवन पटेल

गाडरवारा। क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भाजपा नेता पवन पटेल ने मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने गाडरवारा के शासकीय सिविल अस्पताल की समस्याओं और उसके उन्नयन (Upgradation) को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा।

घोषणा के बाद भी प्रगति का इंतजार: उपमुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान पवन पटेल ने स्मरण कराया कि वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गाडरवारा प्रशासन के दौरान सिविल अस्पताल को 300 बिस्तरों के अस्पताल में तब्दील करने की



सार्वजनिक घोषणा की थी। हालांकि, घोषणा के तब से समय बाद भी अब तक इस दिशा में कोई ठोस जमीनी प्रगति नहीं हो सकी है। वर्तमान में सीमित संसाधनों और बिस्तरों की कमी के कारण अस्पताल पर दबाव बढ़ रहा है। रेफरल सेंटर बनकर रह गया अस्पताल: मांग पत्र में प्रमुखता से उठाया गया कि गाडरवारा अस्पताल

होती है, बल्कि कई बार इलाज के अभाव में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है

गाडरवारा: पवन पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया कि गाडरवारा और तेंदुखेड़ा तहसील का क्षेत्र काफी विस्तृत और ग्रामीण है। इसके अलावा, यह अस्पताल रायसेन, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा जिलों की सीमाओं से लगा हुआ है। ऐसे में अन्य जिलों के मरीज भी इलाज के लिए यहां आते हैं। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए 108 एम्बुलेंस की संख्या बाने और अस्पताल में आधुनिक द्रव्य, जांच मशीनें व पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।



होली एवं रमजान को लेकर साईंखेड़ा में शांति समिति की बैठक आयोजित

साईंखेड़ा। आने वाले होली पर्व एवं वर्तमान में चल रहे पवित्र रमजान माह के मद्देनजर थाना साईंखेड़ा परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का अध्यक्षता थाना प्रभारी रोहित काकोडिया ने की, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न शमाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। थाना प्रभारी रोहित उद्देश्य ने सभी से होली का त्योहार आपसी भाईचारे,

शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की उपद्रवी गतिविधि, नशे की स्थिति में हुड़दंग या विवाद की सूचना तत्काल थाना साईंखेड़ा को दी जाए, ताकि विधायक रवते कार्रवाई की जा सके। बैठक में क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।



नौरादेही अभयारण्य विस्थापन प्रकरणों पर ग्राम मलकुही व ढाना में चौपाल आयोजित

नवभारत/ नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह ने नौरादेही अभयारण्य अंतर्गत प्रस्तावित विस्थापन के संबंध में विकासखंड नरसिंहपुर के ग्राम मलकुही एवं ढाना में चौपाल लगाकर दावा-आपत्तियों की सुनवाई की। ग्राम मलकुही में आयोजित चौपाल के दौरान 12 प्रकरणों को मौके पर ही पात्र घोषित किया गया, जबकि 7 प्रकरण अपात्र पाए गए। शेष

प्रकरणों की जांच की कार्यवाही प्रचलित है। इसी प्रकार ग्राम ढाना में आयोजित चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से विस्थापन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने पात्र परिवारों से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आग्रह करते हुए कहा कि दस्तावेजों के आधार पर प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

एक नजर में

डीएलसीसी/डीएलआरसी की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह ने निर्देश दिए कि बैंकों में लंबित स्वीकृत ऋण आवेदनों का अचल ब्यवस्थापन किया जाए। यदि किसी कारणवश वितरण संभव न हो तो आवेदन कारण सहित संबंधित विभाग को वापस किए जाएं, ताकि पुनः आवश्यक कार्यवाही कर लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों को प्रेषित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजनाओं की शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित की जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति/जिला स्तरीय समीक्षा बैठक (डीएलसीसी/ डीएलआरसी) में दिए। बैठक में एलडीओ आरबीआई मर्यादक सेमवाल, डीडीएम नाबाई श्री उच्चलकांत, अग्रणी जिला प्रबंधक अरुण कुमार सिंह, जिला समन्वयक बैंकर्स, शाखा प्रबंधक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय फेस की राशि, आजीविका मिशन, पशु पालन विभाग, मत्स्य विभाग, एससी विभाग सेंट आरसेटी से संबंधित स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्वीकृत, लंबित एवं वितरण प्रकरणों की विभागवार समीक्षा कर बैंकों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एवं उद्यानिकी विभाग अंतर्गत पीएमएफएमई, एसटी के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण पर संबंधित विभागों एवं बैंकर्स को बधाई दी तथा अन्य योजनाओं में भी लक्ष्यपूर्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए।

ग्राम बौछार स्थित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर ग्राम पंचायत को सौंपी

नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह के निर्देशन में राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा गोटेगांव तहसील के ग्राम बौछार स्थित शमशान घाट की 126/1 शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान संबंधित भूमि को तारबाड़ी कर सुरक्षित किया गया तथा विधिवत कब्जा ग्राम पंचायत को सौंपा गया। इस दौरान तहसीलदार श्री नीरज तखरार, राजस्व एवं पुलिस विभाग का अमला मौजूद था।

निर्धारित गेहूं पंजीयन केन्द्रों में नोडल के रूप में लगाई गई कर्मचारियों की ड्यूटी

नरसिंहपुर। राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं के उपार्जन के लिए केन्द्रवार किसान पंजीयन के पर्यवेक्षण के लिए नोडल टीम का गठन करने का प्रावधान किया गया है। उक्त नोडल टीम में कृषि, सहकारिता, खाद्य, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को शामिल करते हुए प्रत्येक पंजीयन केन्द्र में एक-एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाना है। इन्होंने निर्देशों के परिपालन में जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने जिले में निर्धारित गेहूं पंजीयन केन्द्रों में नोडल अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त अधिकारी-कर्मचारी आवंटित पंजीयन केन्द्रों का सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। साथ ही नियमानुसार समय सीमा में पंजीयन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

नरसिंहपुर। कलेक्टर रजनी सिंह ने नौरादेही अभयारण्य अंतर्गत प्रस्तावित विस्थापन के संबंध में विकासखंड नरसिंहपुर के ग्राम मलकुही एवं ढाना में चौपाल लगाकर दावा-आपत्तियों की सुनवाई की। ग्राम मलकुही में आयोजित चौपाल के दौरान 12 प्रकरणों को मौके पर ही पात्र घोषित किया गया, जांच की कार्यवाही प्रचलित है। इसी प्रकार ग्राम ढाना में आयोजित चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों से विस्थापन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने पात्र परिवारों से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का आग्रह करते हुए कहा कि दस्तावेजों के आधार पर प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। चौपाल में वन मंडलाधिकारी, नौरादेही अभयारण्य से संबंधित अधिकारी, एसडीएम नरसिंहपुर मणिन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

गाडरवारा में मटन मार्केट को लेकर बढ़ा जनआक्रोश

नवभारत/गाडरवारा। नगर में सुव्यवस्थित मटन मार्केट का अभाव अब गंभीर जनसमस्या का रूप लेता जा रहा है। बढ़ती आबादी और मांस की बढ़ती मांग के बावजूद आज तक नगर में मटन विक्रेताओं के लिए कोई निर्धारित एवं व्यवस्थित बाजार स्थल उपलब्ध नहीं कराया गया है। सड़क किनारे रहे ही विक्री से अव्यवस्था वर्तमान में नगर के कई क्षेत्रों में सड़क किनारे अस्थायी रूप से मटन की दुकानें संचालित हो रही हैं। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है बल्कि आसपास के रहवासियों को गंदगी और दुर्गंध की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जनस्वास्थ्य पर खतरा: खुले में मांस कटाई और विक्री से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। नगर में नियमित पशु चिकित्सकीय जांच और साफ-सफाई की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित नहीं देती, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और गहराती जा रही हैं।



राजस्व का नुकसान: यदि नगर पालिका द्वारा एक अधिकृत मटन मार्केट का निर्माण किया जाए और दुकानों का पंजीयन किया जाए, तो इससे राजस्व में वृद्धि भी संभव है। वर्तमान स्थिति में अव्यवस्थित विक्री से शासन को आर्थिक नुकसान हो रहा है। नागरिकों की मांग नगरवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि- शीघ्र ही उपयुक्त स्थान पर आधुनिक मटन मार्केट बनाया जाए। लाइसेंस प्रणाली लागू कर नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। अपशिष्ट निस्सारण और स्वच्छता की स्थायी व्यवस्था की जाए। नागरिकों का कहना है कि यदि शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो भविष्य में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है।

निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण अभियान

नगरपालिका एवं पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चलाया जा रहा अभियान

नरसिंहपुर। नगरपालिका एवं पशुपालन विभाग नरसिंहपुर की संयुक्त टीम द्वारा नरसिंहपुर शहर को रैबीज मुक्त बनाने और पशुपालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से 27 एवं 28 फरवरी दो दिवसीय निःशुल्क एंटी रैबीज टीकाकरण एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के प्रथम दिवस शहर के विभिन्न हिस्सों में कुल 243 थानों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जिला शहरी विकास अधिकरण प्रभारी श्री नीलम चौहान, उप संचालक पशुपालन विभाग डॉ. सुनील बुजपुरिया और टीकाकरण नोडल अधिकारी डॉ. संजय मांझी ने दोनो दिनों की संयुक्त टीमों को नरसिंहपुर शहर के लिए रवाना किया। एंटी रैबीज टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए शहर में चार विशेष दल गठित किए गए हैं। इन टीमों को सुरक्षित



टीकाकरण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, ताकि आवारा एवं पालतू श्वानों का टीकाकरण सुगमता के साथ किया जा सके। इस दौरान उपसंचालक पशुपालन विभाग डॉ. बुजपुरिया ने वार्ड निवासियों को रैबीज के प्रति जागरूक किया। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन महर के रेलवे स्टेशन, धनारे कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, बेलापुरकर वार्ड, यादव कॉलोनी, रेवा नगर, इतवारा बाजार, पुराना बस स्टैंड, बजरंग वार्ड, गुरुद्वारा रोड, सुनका चौराहा,

गाडरवारा में राजश्री गुटखा की कालाबाजारी चरम पर

गाडरवारा। में राजश्री पान मसाला के पाउचों की खुलेआम कालाबाजारी ने उपभोक्ताओं का गुस्सा भड़का दिया है। अधिकतम खुदरा मूल्य (स्क्रब) को दरकिनार कर डेढ़ गुने दामों पर विक्री की जा रही है, और जिम्मेदार विभाग अब तक मूकदर्शक बना हुआ है। दामों में खुली लूट बाजार में स्थिति यह है, 33 एमआरपी वाला पाउच, 45, 50, 17 एमआरपी वाला पाउच, 25, 8 वाला छोटा पाउच, 15, साफ है कि यह सिर्फ

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर

उपभोक्ता ऊंची कीमत चुकाने को विवश हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भी इसी तरह का खेल सामने आया था। इस वर्ष फिर वही सिंडिकेट सक्रिय बताया जा रहा है। कानून क्या कहता है, MRP से अधिक कीमत वसूलना कानूनी माप विज्ञान अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माना, लाइसेंस निलंबन और अपारधिक कार्रवाई तक संभव है।

न्यायालय नजूल अधिकारी नरसिंहपुर		सार्वजनिक उद्घोषणा	
रा.आ.क. 153 अ-20(1) सन्-2025-26			
एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार स्थायी पट्टा धिकार को भूमिसूची संघर्षवर्तन की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचारधीन है। कोई हिवदद व्यक्ति दिनांक 19/03/2026 को प्रातः 11 बजे स्थान नरसिंहपुर में इस न्यायालय के समक्ष या वर्य या अपने अधिकांता जिसे सम्पक रूप से अनुदेश दिये गये हो या वेध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचारधीन प्रकरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।			
अनुसूची			
नजूल शीट क्र.	नगरीय क्षेत्र का नाम	प्लॉट क्र.	रकबा
15	कंदेली	4/72	1200 वर्गफुट
			विद्यमान अभिलेख में धारक/धारकों के नाम/ पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता
			उस व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम/पिता/माता का नाम पूर्ण नाम पता जिनके पक्ष में प्रकरण विचारधीन है
			रामसनेही आ. शम्भुदास शुकला सा. कंदेली
			रामसनेही आ. शम्भुदास शुकला सा. कंदेली
इस्तहार आज दिनांक 18/2/2026 को हेर महाहार एवं न्यायालय की पट्टादारी के अधीन जारी किया गया।			
नजूल अधिकारी नरसिंहपुर			